

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 3728-35

दिनांक: 17/8/26

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 19340/2024 लक्ष्मी पटेल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2025 की पालना में याचिकाकर्ता लक्ष्मी पटेल का नर्सिंग आफिसर भर्ती 2023 के तहत नर्सिंग आफिसर के पद पर निम्नानुसार चयन किया जाता है:-

S. No	Applicant's Name	Application ID	Gender	Applicant's Date of Birth DD/MM/YY	Category	Applicant Father's Name	Marital Status	70% Average Marks	Bonus Marks	Total %	Select Against
1	LAXMI PATEL	NO188224	FEMALE	25/04/1986	OBC-NCL/	MAVJI PATEL	MARRIED	50.612	30	80.612	UR-F

विभाग द्वारा इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। याचिकाकर्ता का उक्त चयन व पदस्थापन, डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 1161/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर की जाने वाली एसएलपी के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक
दिनांक: 17/8/26

F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 3728-35

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- अतिरिक्त महाधिवक्ता (चिकित्सा पक्ष), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 820 दिनांक 17.08.2026 के क्रम में।
- केस प्रभारी अधिकारी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार